उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 144/2017/1065/92-2-17-13जांच/2010

लखनऊ:: दिनांक:: 09 अगस्त,2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री शिवदयाल सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा ग्राम सभा पठखौली से क्यामपुर छावनी तक सम्पर्क मार्ग (खण्डजा स्तर तक) में कराये गये निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जांच में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं शासकीय क्षति के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-72/62-3(प्रकोष्ठ)/11-13जांच/2010 दिनांक 10-05-2011 द्वारा उनके विरूद्व सिविल सर्विसेज रूल्स-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये उक्त जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी द्वारा अथक प्रयास किये जाने के बाद भी अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र तामील नही कराया जा सका। तत्पश्चात वाराणसी में पढे जाने वाले 03 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया। उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बावजूद भी अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्राप्त किये जाने हेतु जांच अधिकारी कार्यालय से कोई सम्पर्क न किये जाने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा एक पक्षीय जांच आख्या उनके पत्र संख्या-1688/ग्रा0अ0वि0/जांच-गाजीपुर /2014-15 दिनांक 30-12-2014 के माध्यम से शासन में उपलब्ध करायी गयी।

3- जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपो के संबंध में शासन के पत्र संख्या-03/92(प्रकोष्ठ)/2015-13जांच/2010 दिनांक 12-02-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री सिंह से अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने पर उन्हें कई बार अनुस्मारित कराया गया। उक्त के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1273/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/613-अनु0कार्य0/2015-16 दिनांक 31.08.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता के स्थायी पते एवं वाराणसी के पते पर स्थित ताला पडे होने के कारण श्री सिंह को अभ्यावेदन की नोटिस दिया जाना संभव नही हो सका।

4- अपचारी अधिकारी, श्री शिवदयाल सिंह द्वारा न तो आरोप पत्र प्राप्त किये गये और न ही जांच आख्या में प्रमाणित आरोपो के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त के दृष्टिगत जांच अधिकारी की जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति की धनराशि रू0 2,653.00 की वसूली अपचारी अधिकारी, श्री सिंह के सेवानैवृत्तिक देयकों से किये जाने के अनन्तिम दण्ड पर पत्र सं0-572/92-2-16-13जांच/2010 दिनांक 17-05-2017 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से सहमति मांगी गयी, जो उनके पत्र संख्या-20/2/एडीसी/एस-12/2017-18 दिनांक 03-07-2017 द्वारा निम्नवत उपलब्ध करायी गयी :-

"अपचारी अधिकारी द्वारा जांच में सहयोग न करने का हवाला देते हुये अपचारी अधिकारी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा पटखौली से क्यामपुर छावनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तक सम्पर्क मार्ग निर्माण में की गयी अनियमितता के कारण कारित शासकीय क्षति रू0 2,653.00 की वसूली उनके सेवानिवृत्तिक देयों से किये जाने" पर मा0 आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी हैं।

5- अतः अपचारी अधिकारी के विरूद्व निर्गत आरोप पत्र, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री शिवदयाल सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर सम्पति सेवानिवृत्त के विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति की धनराशि रू0 2,653.00 की वसूली उनके सेवानिवृत्तिक देयकों से करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-72/62-3(प्रकोष्ठ)/11-13जांच/10, दिनांक 10-05-2011 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को निम्नवत दण्ड देते हुये एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"अपचारी अधिकारी, श्री शिवदयाल सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा पटखौली से क्यामपुर छावनी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण में की गयी अनियमितता के कारण कारित शासकीय क्षति रू0 2,653.00 की वसूली उनके सेवानिवृत्तिक देयों से की जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-144/2017/1065/(1)/92-2-2017 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी- 1273/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/613-अनु0कार्य0/2015-16 दिनांक 31.08.2015 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2,653.00 की वसूली नियमानुसार श्री सिंह के सेवानैवृत्तिक देयकों से करने का कष्ट करें।

2- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-20/2/एडीसी/एस-12/17-18 दिनांक 03-07-2017 के क्रम में।

3- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- श्री एस0डी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियंता,(सम्प्रति सेवानिवृत्त) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।